CNR No.UPME190012572022

न्यायालय — वाणिज्यिक न्यायालय, कक्ष सं० 2, मेरठ।

निष्पादन वाद सं० 304 सन 2022 (प्राचीन नं० 265/2016)

मे० श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कं०लि०

प्रति

सेठपाल एवं अन्य

14.08.2026

पेश हुआ। अनेक बार पुकार करायी गयी।

पुकार पर विगत तिथियों की भांति आज भी डिक्रीदार/उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि यह निष्पादन वाद दिनांक 09.11.2016 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त तिथि से आज तक की नियत तिथि के मध्य विगत 10 वर्षों से डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणीगण की उपस्थिति हेतु पैरवी सम्पन्न नहीं की गयी।

इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि डिक्रीदार उक्त निष्पादन वाद जारी रखने की अभिरूचि नहीं रखता है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं इसकी प्राचीनता और अनवरत पैरवी न किये जाने के नाते उक्त वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत निष्पादन वाद डिक्रीदार की अनुपस्थिति एवं अनवरत रूप से पैरवी न किये जाने के अभाव में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् विधिनुसार अभिलेखागार को संचित हो।

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं० 2,
मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी०–5988

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2026.08.14 16:28:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court